



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
“बीटा बिल्डिंग”, 9वीं मंजिल / “BETA BUILDING”, 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)
मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

टेलीफोन: 022 - 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 - 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 - 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

संख्या टीआर/इंजी/परीक्षा/17(2)/2010/-सं.II

दिनांक :28.01.2014

सेवा में,

नौमनि द्वारा अनुमोदित जीएमई पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान।

विषय:- 2012 के प्रशिक्षण परिपत्र सं.05 – जीएमई पाठ्यक्रम में, मैकेनिकल तथा ऑटोमेशन इंजीनियरिंग डिग्री धारी अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई, ने 2012 के दिनांक 07.09.2012 के अपने प्रशिक्षण परिपत्र सं.05 [फा.सं0 प्रशि/इंजी/परीक्षा/17(2)/2010] के अनुसार, मैकेनिकल ग्रेजुएट (जीएमई) के पाठ्यक्रम एकवर्षीय समुद्री-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, एक शैक्षणिक पात्रता अर्हता की योग्यता वाले किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल तथा ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की डिग्री को अनुमोदन प्रदान किया है, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा के समुद्री इंजीनियरिंग अधिकारी (एमईओ) श्रेणी IV भाग 'ए' प्रमाणपत्र 'थर्मोडायनामिक्स तथा हीट ट्रांसमिशन' लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। उक्त परिपत्र के पैरा 2 आगे यह भी बताता है कि नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान इन शर्तों को अभ्यर्थियों के जीएमई पाठ्यक्रम हेतु नामांकन करने से पहले उनके ध्यान में लाए, तथा यह भी कि, ये शर्तें ऐसे अभ्यर्थियों को जारी किए जानेवाले उत्तीर्ण प्रमाणपत्रों में भी दर्शाए जाएंगे।

2. हालांकि, नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार को यह सूचित किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश देने से पहले, संबंधित नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा, उपरोक्त परिपत्र में अनुबंधित, उक्त शर्तों के बारे में उन्हें नहीं बताया गया है।

3. अतः, सभी नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो जीएमई पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उन्हें 2012 के दिनांक 07.09.2012 के उक्त प्रशिक्षण परिपत्र सं.5 के पैरा सं.2 [फा.सं0 टीआर/इंजीनियरिंग/परीक्षा/17(2)/2010] का सख्ती से अनुपालन करने का पुनः निदेश दिया जाता है।

इसका अनुपालन की स्थिति में, आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(आस मोहम्मद)

सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:-

1. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई /चेन्नई /कोलकाता /कोच्चि
2. इंजीनियरिंग अनुभाग, नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई
3. गार्ड फाईल

